न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल
जमानत आवेदन संख्या– 244/2026
रामदेव मुखिया बनाम् बिहार राज्य

<u>02/07/2026 :–</u>

प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदक रामदेव मुखिया की ओर से दाखिल किया गया है जो राघोपुर थाना काण्ड संख्या 385/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 303(2), 351(2), 352, 118(1), 117(2) बी0एन0एस0 के अधीन दर्ज काण्ड में दिनांक–17.03.2026 से कारा में ससीमित है तथा यह वाद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में लंबित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना करते हैं कि प्रसंगाधीन मुकदमा विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा दौरा सुपुर्द किया जा चुका है, जिसका सत्र वाद संख्या 182/2026 है। अतः प्रार्थना करते हैं कि प्रस्तुत जमानत आवेदन को वापस करने की कृपा की जाय।

सुना एवं प्रार्थना स्वीकृत किया गया। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल वापसी आवेदन के आधार पर प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित

(कुमार कौशल किशोर)
अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
प्रभारी न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय
सुपौल